"जनगणना" गाँधीनगर
"CENSUS"

Phone:
DCO(Direct): 079-23230813
(Office) : 079-23238067
: 079-23231156
Fax : 079-23237160
E-mail : dco-guj.rgi@censusindia.gov.in

प्रत्येक जन्म एवं मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण सुनिश्चित करें।

भारत की जनगणना
CENSUS OF INDIA
2011

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय
MINISTRY OF HOME AFFAIRS/GRIH MANTRALAYA
जनगणना कार्य निदेशालय, गुजरात
Directorate of Census Operations, Gujarat
सेन्सस भवन, सेक्टर 10/ए, गाँधीनगर - 382010
Census Bhavan, Sector 10/A, Gandhinagar -382010

सं. डी-11011/1/2009-जन(गुज). . . . . . . /848

दिनांकः- 13 APR 2015

विज्ञप्ति

जनगणना कार्य निदेशालय गुजरात, गांधीनगर, द्वारा सक्षम अनुभवी फर्मो से सिर्फ रद्दी कागज विक्रेता/मिल जिसके पास Pulping सुविधा हो उनसे लगभग 30 टन जनगणना-2011 के बिना उपयोगी फार्म/रद्द की गई अनुसूचियाँ एवं निर्देश पुस्तिकाओं की बिक्री हेतु मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है।

निविदा फार्म जनगणना कार्य निदेशालय जनगणना भवन, सेक्टर -10/ए, गांधीनगर से दिनांक 08/05/2015 तक ₹ 500/- मात्र नकद अथवा रेखांकित बैंक ड्राफ्ट, सहायक निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, गुजरात के पक्ष में जमा कर प्राप्त कर सकते हैं।

निविदा के साथ अर्नेस्ट मनी (EMD) ₹ 25,000/-(रूपया पचीस हजार केवल) सहायक निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, गुजरात, गांधीनगर के पक्ष में होना चाहिए। निविदाएं दिनांक 11/05/2015 दोपहर 2:00 बजे तक स्वीकार की जायेगी और उसी दिन उपस्थित निविदाताओ के समक्ष खोली जायेगी। निविदा फार्म वेवसाईट www. Censusindia.gov. in (Tender) से भी डाऊन लोड किया जा सकता है।

(वी.ए. वराडे)
उप निदेशक, जनगणना कार्य
गुजरात, गांधीनगर।

"जनगणना" गांधीनगर
"CENSUS" GANDHINAGAR

Phone :
DCO(Direct) : 079-23230813
(General) : 079-23238067
079-23231156
Fax : 079-23237160
E-mail :dco-guj.rgi@censusindia.gov.in

प्रत्येक जन्म एवं मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण सुनिश्चित करें

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय
MINISTRY OF HOME AFFAIRS/GRIH MANTRALAYA
जनगणना कार्य निदेशालय, गुजरात
Directorate of Census Operations, Gujarat
सेन्सस भवन, सेक्टर 10/ए, गाँधीनगर-382010
Census Bhavan, Sector 10/A, Gandhinagar-382010

भारत की जनगणना CENSUS OF INDIA 2011

सं. डी-11011/1/2009-जन(गुज)............ /848

दिनांक:- 13 APR 2015

निविदा आमंत्रण

1. कार्यालय द्वारा निर्धारित न्यूनतम कीमत (upset value) से कम कीमत की निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
2. सामग्री के दर अनुलग्नक-I में दर्शाये जाने चाहिए।
3. बयाना राशि(Earnest money) के रूप में ₹ 25,000/- का डिमान्ड ड्राफ्ट सहायक निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, गांधीनगर के नाम का देय हो, निविदा के साथ जमा करना होगा, जो असफल निविदादाताओ को बिना ब्याज निविदा का अंतिम निर्णय होने के बाद शीघ्र लौटाये जायेंगे। किसी भी मामले में कोई प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी।
4. निविदाएं मुहरबंद लिफाफों में संयुक्त निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, गुजरात, जनगणना भवन, सेक्टर -10/ए, गांधीनगर -382 010 को सम्बोधित होनी चाहिए और लिफाफे पर अप्रयुक्त फार्म/अनुसूचियाँ/रद्द अनुसूचियों और जनगणना 2011 से संबंधित निर्देश/ पुस्तिकाऐं "निपटान के लिए" के रूप में लिखना चाहिए और उसे 11/05/2015 अपराह्न 2:00 बजे तक अथवा इससे पूर्व पहुँचाना होगा। बिना बयाना राशि की निविदा पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
5. निर्धारित दिनांक और समय तक प्राप्त निविदाओं को दिनांक 11/05/2015 को 2:00 बजे प्राधिकृत प्रतिनिधि, जो उपस्थित होंगे उनके समक्ष खोली जायेगी।
6. जिनके पास रद्दी पेपर डीलर्स/पेपर मील्स पल्पींग सुविधा हो, वहीं निविदाएं स्वीकार की जायेंगी (निविदा के साथ Pulping की सुविधा का प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा)।
7. जनगणना अधिनियम 1948 के प्रावधान के अनुसार सभी जनगणना रिकार्ड/फार्म गोपनीय है और यह पल्पींग के अलावा अन्य किसी प्रयोजन के लिए उपयोग में नहीं लिये जायेगे। इसलिए सफल निविदादाता/ बोलीदाता को Shredding के बाद इसे लुगदी (Pulping) किया जाना चाहिए।
8. सभी बिना उपयोगी फार्म/शिडयूल्स/रद्दी शिड्यूलस और जनगणना 2011 की निर्देश पुस्तिकाएं जो करीबन 30 टन गांधीनगर में ही कांटा पर तुलवाना होगा । यह कांटा जनगणना कार्य निदेशालय के प्रतिनिधि के द्वारा चयनित किया जाना होगा। कांटे पर आनेवाला व्यय सफल निविदादाता को ही वहन करना होगा इसके लिये पहले कांटे पर खाली ट्रक को तथा बाद में भरे हुये ट्रक को जनगणना कार्यालय के प्रतिनिधियों के समक्ष तुलवाना होगा।

9. सफल बोलीदाता Shredding (कटाई) के बाद एक खंड में यह रिकार्ड उठाकर रखना होगा। यह रिकार्ड को जनगणना कार्य निदेशालय के प्रतिनिधि की उपस्थिति में Pulping कराना होगा। जो Pulping के दौरान Pulping mill में उपस्थित रहेगा और उसे Pulping प्रमाण-पत्र देना होगा। सफल बोलीदाता को Pulping mill का नाम, स्थान एवं किस तिथि को Pulping किया जाना है उसकी जानकारी लिखित में देनी होंगी।
10. बिना उपयोगी फार्म/शिडयूल्स/रद्द किये गये शिडयूल्स और निर्देश पुस्तिकाएं की आपूर्ति जनगणना कार्यालय, गांधीनगर द्वारा की जायेगी। सफल बोलीदाता की यह जिम्मेदारी रहेगी कि वह इन सभी पुराने रिकार्डस को एकत्रित करने की व्यवस्था करेंगे और जनगणना कार्यालय से कार्य दिवस के दौरान ले जायेंगे। सभी पुराना रिकार्ड जनगणना कार्य निदेशालय से दी गई तारीख से एक सप्ताह के अन्दर होगा।
11. निर्धारित अवधि में सफल बोलीदाता द्वारा निर्धारित स्थान से उक्त रिकार्ड नहीं उठाने पर, निर्धारित शर्त के अधीन बोलीदाता की बयाना राशि ₹ 25,000/-(रूपये पच्चीस हजार केवल) जब्त की जायेगी और उसका अनुबन्द समाप्त कर दिया जायेगा।
12. सफल बोलीदाता को निर्धारित समय में जनगणना भवन से सभी रिकार्ड अपने स्वयं के खर्च से उठाना पड़ेगा। बोलीदाता के खर्च पर कार्यालय द्वारा निर्धारित धर्म-काटें पर खाली और भरी हुई ट्रक का वजन कार्यालय के प्रतिनिधि की उपस्थिति में करना होगा। वजन कराने से पहले की (खाली ट्रक) वजन भराने के बाद की धर्मकांटा की रसीद पर सफल बोलीदाता के प्राधिकृत प्रतिनिधी और इस कार्यालय के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर होने चाहिए।
13. सफल बोली बोलनेवाले का पुराना रिकार्ड और अन्य गोपनीय रिपोर्ट चेक करना होगा/परिवहन और मजदूरी रेलवे चार्ज/कर इत्यादि का खर्च सफल बोलीदाता को देना पड़ेगा। यदि बोलीदाता द्वारा उक्त पुराने रिकार्ड के लिए कार्यालय के बोरे का उपयोग होता है तो कार्यालय को बोरे की अलग से कीमत देनी होगी।
14. रद्दी कागज के मूल वजन से 1 पूर्ण बोरी का 1 kg और आधी बोरी का 1/2 kg वजन काटा जायेगा।
15. निविदा में दिये जाने वाले दर प्रति टन के होनी चाहिए। पैकिंग खर्च, वाहन चार्ज, चढ़ाना-उतारना, तुलना, रेल चार्जेस इत्यादि बोलीदाता को स्वयं भुगतान किया जाना होगा।
16. सफल बोलीकर्ता को ₹ 25,000/-(पच्चीस हजार रूपये केवल) का डीमान्ड ड्राफ्ट सुरक्षा राशि के रूप में जमा करना होगा जो राष्ट्रीयकृत बैंक का होंगा और जिसे सहायक निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, गुजरात, गांधीनगर के नाम देय हो, जिसे कभी भी निविदा की शर्त पूर्ण नहीं करने पर जब्त कर लिया जाएगा।
17. यदि सफल बोलीदाता जनगणना कार्य निदेशालय से सूचना प्राप्त करने के पश्चात भी पुराना रिकार्ड आदि उठाने में विफल (Fail) रहा या उसके द्वारा किसी भी कारण वश देरी हुई और पुराने रिकार्ड को कोई नुकसान हुआ जैसे कि पुराने रिकार्ड में आग लगी या बारिश से खराब हुआ, इसमें जनगणना कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा और बोलीदाता द्वारा भरी हुई अग्रिम राशि वापिस नहीं की जाएगी और ऐसी किसी भी स्थिति में सारी जिम्मेदारी सिर्फ बोलीदाता की होगी।

18. पुराने अभिलेखों की अनुमानित राशि को पहले ही सामग्री उठाने से पूर्व जनगणना कार्य निदेशालय में जमा करानी होगी । ईएमडी और सुरक्षा राशि (EMD and Deposit Amount) को अंतिम चरण में समायोजित किया जायेगा।

19. संभावित निविदादाता (बोलीदाता) द्वारा रिकार्ड का निरीक्षण सांय 3:00 बजे से 5:00 बजे तक निम्न पते पर कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में किया जा सकता है।

जनगणना कार्य निदेशालय, जनगणना भवन, सेक्टर 10/ए, गांधीनगर

20. अनुमोदित निविदाकार द्वारा टेन्डर के साथ लगी हुई सभी शर्तों की जाँच की गई है तथा हस्ताक्षर कर निविदा के साथ संलग्न करना होगा।

21. कार्यालय उच्चतम या किसी अन्य निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होगा और इसके लिए कोई कारण बताने के लिए भी बाध्य नहीं होगा।

22. यदि यह पाया जाता है कि रद्दी कागज के भाव प्रक्रिया के दौरान बढ़ गए है तो कार्यालय को यह अधिकार रहेगा कि वह दोबारा निविदा आमंत्रित करेंगा और बोलीदाता स्वयं को हो रहे नुकशान का जिम्मेदार रहेंगा।

23.सफल बोलीकर्ता को रजिस्टर्ड आवश्यक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने होंगे जो स्टेम्प पेपर पर होंगे। दस्तावेज का नमूना कार्यालय में कार्यालय समय में निरीक्षण के लिए रखा जायेगा।

24. सभी पुराना रिकार्ड को तुरन्त ही लुगदी (Pulped) कराना होगा। मिल से पुराना रिकार्ड प्राप्त होने की सूचना कार्यालय के प्रतिनिधि की उपस्थिति में 12 दिन के अंदर Pulping का कार्य पूर्ण करना होगा। बोलीदाता को यह प्रमाण-पत्र देना होगा कि सभी रिकार्ड शर्तो के अनुसार Pulping mill द्वारा Pulp किया गया है। यदि यह सामग्री भेजने के 12 दिन की अवधि में इस निदेशालय के प्रतिनिधि की उपस्थिति में Pulp नहीं करते है तो उन्हें दंड दिया जायेगा और प्रतिदिन ₹ 500/-(रूपये पाँच सौ मात्र) प्रति टन की दर से काटा जायेगा।

25. बोलीदाताओं को अपने टेन्डर में आयकर नंबंर (PAN) और मूल्य Addes कर (VAT) संख्या और पिछले तीन वर्ष के IT Returns की प्रतियाँ लगानी होगी।

27. बोलीदाता को यह प्रमाण-पत्र भी लगाना होगा कि उनके द्वारा अन्य सरकारी कार्यालयों का Pulping कार्य किया गया है। अलग सीट में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करें।

28. कोई भी विवाद या भिन्नता के मामले में गांधीनगर क्षेत्राधिकार होगा।

स्थान : गांधीनगर।
दिनांक:

उप निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय
गुजरात, गांधीनगर

अनुलग्नक-I

सं. डी-11011/1/2009-जन(गुज)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

जनगणना कार्य निदेशालय, गुजरात

जनगणना भवन, सेक्टर -10/ए, गांधीनगर -382 010.

जनगणना 2011 के बिन उपयोगी/शिडयूल्स/रद्द शिडयूल्स और निर्देश पुस्तिकाएं के लिए निविदा

नाम (Agent/Paper mill)	
टेलीफोन सं.	
आयकर सं.(PAN) (तीन साल के रीटर्न के साथ)	
VAT(Value Added Tax) Registration No	
दिनांक	

हमारे भाव/दर निम्नवत है

क्र.सं.	सामग्री बिन उपयोगी/शिडयूल्स/रद्द शिडयूल्स और निर्देश पुस्तिकाएं	1000 kg का न्यूनतम भाव (Upset value)	1000 kg pulping का भाव/ दर
		₹ 12000 + VAT	

1. मैंने टेन्डर नोटिस मे दी गई शर्तों और नियमों को पढ़ा है और इसे मैं स्वीकार करता हूँ।

2. मील के पास ____________पल्पर है और उसके ____________टन पेपर Pulp करने की क्षमता है।

3.यदि मेरा/हमारा उक्त दर स्वीकृत किया जाता है तो, मैं/हम इसे जनगणना कार्य के प्रतिनिधि के समक्ष Pulp करेंगे।

4.टेन्डर फीस संबंधी जानकारी टेन्डर फीस ₹ .500/- नकद रसीद/DD No____________ दिनांक __________, यदि DD है तो बैंक का नाम ______________________________ शाखा ____________________ दिनांक ________________

5. EMD संबंधी जानकारी : ₹ 25,000/-

Demand Draft No____________________

Name of the Bank ____________________

Branch ________________ Dated _________

मैं यह भी आश्वासन देता हुँ कि बिना उपयोगी फोर्म/शिडयूल्स/रद्द शिडयूल्स और निर्देश पुस्तकाएं आदि जिनकी बिक्री हमें की जानी है, उसे सिर्फ लुगदी (Pulping) के लिए उपयोग किया जायेगा और इसके अवाला अन्य किसी भी उपयोग में उसका इस्तेमाल नहीं किया जायेगा (Pulping सुविधा का प्रमाण-पत्र साथ संलग्न है)।

स्थान : **निविदाकर्ता के हस्ताक्षर :**

दिनांक : **कंपनी की मोहर के साथ**